No.F.5(59)-E.III/82
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Finance
(Department of Expenditure)

New Delhi, the 13th March, 1984.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revision of pay scales of Draughtsmen Grade III, II and I in all Government of India offices on the basis of the Award of Board of Arbitration in the case of Central Public Works Department.

The undersigned is directed to state that a committee of the National Council (Joint Consultative Machinery) was set up to consider the request of the Staff Side that the following revised scales of pay allowed to the Draughtsmen Grade, I, II and III working in Central Public Works Department on the basis of the Award of Board of Arbitration may be extended to Draughtsmen Grade III, II and I in all Government of India offices :-

	Original Scale	Revised scale on the basis of the Award
Draughtsmen Grade I	Rs.425-700	Rs.550-750
Draughtsmen Grade II	Rs.330-560	Rs.425-700
Draughtsmen Grade III	Rs.260-430	Rs.330-560

2. The President is now pleased to decide that the scales of pay of Draughtsmen Grade III, II and I in Offices/Departments of the Government of India, other than the Central Public Works Department, may be revised as above provided their recruitment qualifications are similar to those prescribed in the case of Draughtsmen in Central Public Works Department. Those who donot fulfil the above recruitment qualification will continue in the pre-revised scales. The benefit of this revision of scales of pay would be given notionally with effect from 13-5-1982, the actual benefit being allowed with effect from 1-11-1983.

3. Hindi version will follow.

R.C.Puri
(R.C.Puri)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (As per standard list with usual number of spare copies).

.........2/-

No.F.5(59)-E.III/82 Dated the 13th March, 1984.

Copy also forwarded to :-

1. Supreme Court of India.
2. Lok Sabha Secretariat.
3. Rajya Sabha Secretariat.
4. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, New Delhi.
5. Union Public Service Commission. New Delhi.
6. Chief Election Commissioner, New Delhi.
7. Railway Board, New Delhi.
8. Secretary, Staff Side, National Council (JCM) (25 SC)
9. All Members of the Staff Side of JCM
10. Central Vigilance Commission, New Delhi.
11. Department of Personnel and A.R (JCA Section).
12. All Financial Advisers.
13. C&AG. New Delhi.

(R.C.Puri)

Deputy Secretary to the Government of India

संख्या एफ 5(59)– संस्था0 III/82

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1984

कार्यालय ज्ञापन

विषय :– केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मामले में मध्यस्थता बोर्ड के अधिनिर्णय के आधार पर भारत सरकार के समस्त कार्यालयों में ग्रेड III, II और I के ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों का संशोधन ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी–पक्ष के इस अनुरोध पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय परिषद्(संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) की एक समिति की स्थापना की गई थी कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले ग्रेड I, II, और III के ड्राफ्ट्समैनों को मध्यस्थता बोर्ड के अधिनिर्णय के आधार पर दिये गए निम्नलिखित संशोधित वेतनमान भारत सरकार के सभी कार्यालयों में कार्य रहे ग्रेड–III, II और I के ड्राफ्ट्समैनों को भी दिए जाएं।

	मूल वेतनमान	अधिनिर्णय के आधार पर संशोधित वेतनमान
ड्राफ्ट्समैन ग्रेड I	425–700रु0	550–750 रु0
ड्राफ्ट्समैन ग्रेड II	330–560 रु0	425–700 रु0
ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III	260–430 रु0	330–560 रु0

2. राष्ट्रपति जी ने अब यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को छोड़कर, भारत सरकार के कार्यालयों/विभागों में ग्रेड III, II और I के ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों को ऊपर दिए अनुसार संशोधित कर दिया जाए बशर्ते कि उनकी भर्ती संबंधी योग्यताएं उसी प्रकार की हों जैसी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्ट्समैनों के मामले में निर्धारित हैं। जो व्यक्ति उपर्युक्त भर्ती संबंधी योग्यता को पूरा नहीं करते हों वे संशोधन से पूर्व के वेतनमानों में ही रहेंगे। वेतन–मानों के इस संशोधन का लाभ काल्पनिक आधार पर 13.5.1982 से दिया जाएगा लेकिन वास्तविक लाभ 1.11.1983 से स्वीकृत होगा ।

र॰ च॰ पुरी

(आर. सी. पुरी)
उप–सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग(अतिरिक्त प्रतियों की संख्या मानक सूची के अनुसार)

. .. . 2/–

संख्या. एफ. 5(59)(संस्था. III/82   दिनांक 13 मार्च, 1984

प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित को भी प्रेषित :—

1. भारत का उच्चत्तम न्यायालय।
2. लोक सभा सचिवालय।
3. राज्य सभा सचिवालय।
4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयुक्त, नई दिल्ली।
5. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली।
7. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
8. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (सं0प0 तंत्र) (25 अतिरिक्त प्रतियाँ)
9. संयुक्त परामर्शदाता तंत्र के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य)।
10. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
11. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (जे0सी0ए0 अनुभाग)।
12. सभी वित्तीय सलाहकार।
13. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

र0 च0 पुरी

(आर0सी0 पुरी)
उप सचिव, भारत सरकार

(द. रावत)